

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 नवम्बर 2017—अग्रहायण 6, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2017

एफ क्र. 14-2-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम 1986 में निम्न संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

“रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) तक चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे. रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार हेतु निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि के चिकित्सा सहायता अनुदान के प्रकरणों के स्वीकृति के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को होंगे.”

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.